वृद्धाश्रम (सहारा)

1. उद्देश्य

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख-भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराया जाता है।

2. निधि का संवितरण

वृद्धाश्रम सहारा योजना शत प्रतिशत राज्य स्कीम है।

3. देय राशि

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जाता है|

4. पात्रता

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वैसे वृद्धजन जो बी0पी0एल0 परिवार से हो या जिनकी आय 60000/- (साठ हजार रूपया) से कम हो।

5. प्रक्रिया

योजना का नाम	आवेदन की प्रक्रिया	अनुमोदन
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति

6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत अनुश्रवण किया जाता है एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

वृद्धजनों के लिए प्रस्तावित गृह वृद्ध आश्रम "सहारा" के संचालन के संदर्भ में संक्षिप्त मार्गदर्शिका

राज्य सरकार द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 को राज्य मे लागू किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के उपरान्त बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 को भी अधिसूचित किया गया है। केन्द्रीय अधिनियम में उल्लिखित है कि राज्य सरकार अपनी क्षमतानुरूप प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से वृद्धाश्रम का संचालन प्रारम्भ करेगी। इसी संदर्भ में राज्य के निराश्रित, उपेक्षित एवं बेसहारा वृद्धजनों को आश्रय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से "वृद्धाश्रम" स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वस्तुतः वृद्धजनों को अपने आजीविका हेतु अपने बच्चों एवं परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। समाज के तेजी से बदलते परिवेश में वृद्धजनों की स्थिति अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में मुख्यतः ग्रामीण परिवेश में उनकी स्थिति शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक चिन्ताजनक है।

वृद्धजनों के बढ़ते उम्र के साथ उन्हें विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ–साथ उनकी निर्भरता भी दूसरों पर बढ़ते जाती है और ऐसी स्थिति में उनकी उचित देख–भाल नहीं हो पाती है। वृद्धजनों को मूलतः निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:–

i. आर्थिक निर्भरता,
ii. स्वास्थ्य में लगातार गिरावट,
iii. मानसिक परेशानियाँ,
iv. बेरोजगार होना/असहाय आदि।

इन उपरोक्त स्थितियों से निपटने के लिए उन्हें उचित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यह स्थिति ग्रामीण परिवेश में विशेषरूपेण ध्यान देने योग्य है। ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा जो परिवार से पूर्णतः उपेक्षित है, अर्थात जिनकी संतान उनका बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहें हैं या ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी देखभाल कर सके, उनके देखभाल की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। अतएव इन्हीं मूल बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वृद्धाश्रम का संचालन किया जायगा। वृद्धाश्रम का संचालन बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अध्याय IV के तहत नियम 20 में अंकित प्रावधानों के अनुरूप किया जायगा।

1. लाभार्थियों की पात्रता :–

1. 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन जो BPL परिवार के अन्तर्गत आते हों, इन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है अथवा ऐसे वृद्धजन जिनका वार्षिक आय 60,000 (साठ हजार) से कम हो, परन्तु उनके आय या जीवनयापन का कोई साधन उनके पास नही हो, एवं बिल्कुल निराश्रित हो और

(6)

उनके परिवार मे कोई उत्तराधिकारी/रिश्तेदार नहीं हो वैसी परिस्थिति में जिला प्रशासन (कार्यान्वयन समिति) आवश्यक जाँच भरण पोषण अधिकरण से कराने के उपरान्त उन्हें गृह में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर सकता है।

2. यदि कोई गुमशुदा जान के खतरे में आने वाले तथा घर से बेघर किये गये वृद्धजन मिलतें है तो उन्हें आवश्यक्तानुसार वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है।

3. निर्धारित संख्या से अधिक लाभार्थी होने की स्थिति में अधिक बुजुर्ग/महिला/अक्षम वृद्धजन को प्राथमिकता दी जायगी।

4. वृद्धाश्रम "सहारा" के संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति गठित की जायगी, जिसमें निम्नांकित अन्य सदस्य होंगेः–

(A) सिविल सर्जन – सदस्य

(B) दो स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि – सदस्य

(C) दो बुजुर्ग/पेंशनर– सदस्य

(D) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा – सदस्य सचिव

- वृद्धाश्रम में प्रवेश उसी समिति की अनुशंसा पर दिया जायगा।

2. गैर सरकारी संस्थाओं की अहर्त्ताः–

I. निबंधित फाउन्डेंशन या सोसाईटी एक्ट 1860 के तहत निबंधित संस्था हो।

II. संस्था का विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन हो।

III. संस्था का विगत तीन वर्षो का वार्षिक प्रतिवेदन हो।

IV. संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप में मकान, (अपना, अथवा किराये) उपलब्ध हो।

V. इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभव प्राप्त संस्थाओं (जिसके पास विशेषज्ञ प्रशिक्षित कर्मी हों) को प्राथमिकता दी जा जाएगी।

VI. संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित हो।

VII. संस्था को पूर्व से भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिला है अथवा नही ?

VIII. क्या संस्था के पास संभावित लाभार्थियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध है ?

उपरोक्त अंकित बिन्दुओं के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जिस पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त संस्था का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था का विभाग के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

3. भवनः–आश्रम चलाने हेतु न्यूनतम 9000 वर्ग फीट की भवन उपलब्धता (खुले जगह सहित) अनिवार्य होगी जो कि साफ–सुथरा एवं हवादार हो। यदि यह किराये के भवन में संचालित किया जाना है तो किरायानामा (Rent Agreement) देना अनिवार्य होगा जिसमें स्थल, एकरारनामा का समय एवं अन्य शर्त्तों का स्पष्ट उल्लेख हो।

4. सामान्य अनुदेशः–इस आश्रम के संचालन हेतु निम्नांकित मूलभूत निदेशों के अनुरूप कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी:–

I. आश्रम महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग व्यवस्था होनी चाहिए।
II. गृह परिसर को यथासंभव बाधा रहित (Barria free) होना चाहिए।
III. सभी फर्नीचर गोलाकार आकृति के होने चाहिए।
IV. कार्यरत कर्मियों का इस क्षेत्र में कार्यानुभव अनिवार्य होना चाहिए।
V. मनोरंजन एवं भ्रमण के लिए मैदान की उपलब्धता अनिवार्य होना चाहिए।
VI. रूचि के अनुसार वृद्धाश्रम संचालन में वृद्धजनों की सहभागिता भी सुनिश्तित की जायगी।

5.मानदेय का विवरणः–

(i) <u>गृह हेतु कर्मियों की योग्यता एवं प्रस्तावित मानदेयः–</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वांछित न्यूतम योग्गता	मानदेय प्रतिमाह	प्रतिमाह कुल व्यय	संभावित वार्षिक लागत
अधीक्षक	01	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	15000/–	15000/–	180000/–
केयर गिवर्स	04	मैट्रिक एवं 6 माह का अनुभव	4500/–	18000/–	216000/–
चिकित्सक (अशकालिक)	01	एम0बी0बी0एस0 (जेनरल फिजिशियन)	1000/– प्रति भ्रमण (10 भ्रमण/माह)	10000/–	120000/–
फिजियोथेरापिस्ट/ रिहैबिलिटेशन ओक्यूपेशनल थेरापिस्ट अंशकालिक	1	इंटरमिडियट तथा फिजियोथेरापी/ओक्यूपेशनल थेरापी में स्नातक	500/– प्रति भ्रमण 10 भ्रमण/माह	5000/–	60000/–
भंडारपाल–सह–लेखापाल	01	बी0कॉम की डिग्री तथा प्रख्यात संस्थान में 2 वर्षो का कार्य अनुभव एवं कम्प्यूटर का ज्ञान	8000/–	8000/–	96000/–
नर्स	02	इंटरमिडियट तथा नर्सिग संबंधित प्रमाण–पत्र	5000/–	10000/–	120000/–
हेल्पर	01	इंटरमिडियट	5000/–	5000/–	60000/–
रसोईया	02	खाना पकाने का अनुभव	4000/–	8000/–	96000/–
स्वीपर	02		4000/–	8000/–	96000/–
धोबी	01		4000/–	4000/–	48000/–
कुल	16		30000/–	91000/–	1092000/–

नोटः–गृह में प्रविष्ट वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके रूचि रूप व्यावसायिक प्रशिक्षक की व्यवस्था चयनित गैर सरकारी संस्था के द्वारा की जायगी, जिसके लिए विभाग द्वारा मानदेय निर्धारित कर राशि उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) आश्रम संचालन हेतु आवश्यक उपकरण

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
01	विद्युत सामग्री			
	(i) ट्यूब लाईट	40	200/–	8000/–
	(ii) सीलिंग फैन	30	1500/–	45000/–
	(iii) इनभर्टर	2	18000/–	36000/–
	(iv) नाईट बल्ब	25	30/–	750/–
	कुल	97	19730/–	89750/–

(iii) कार्यालय उपस्कर

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
1	विद्युत सामग्री			
	(i) टेबुल	12	6000/–	72000/–
	(ii) कुर्सी	100	500/–	50000/–
	(iii) अलमीरा	50	10000/–	500000/–
	(iv) कम्प्यूटर सेट	2	30000/–	60000/–
	(v) प्रिंटर	2	8000/–	16000/–
	(vi) प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन	1	80000/–	80000/–
	(vii) डी0भी0डी0 प्लेयर	2	5000/–	10000/–
	(viii) टी0वी0	3	15000/–	45000/–
	(ix) फ्रीज	2	30000/–	60000/–
	(x) डीस ऐंटेना	3	5000/–	15000/–
	(xi) मैग्नीज,न्यूज पेपर			15000/–प्रति वर्ष
	कुल	177	189500/–	923000/–

(iv) किचेन सामग्री

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
01	भोजन निर्माण उपकरण	1 सेट	30000/–	30000/–
02	भोजन पड़ोसन उपकरण	1 सेट	20000/–	20000/–
03	शुद्व पेय जल आपूर्ति यंत्र	2 सेट	16000/–	32000/–
04	ईधन, .सिलेन्डर	20	1400/–	28000/–
	कुल		66900/–	110000/–

(v) आवासन सामग्री

क्र0स0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
01	बेड (गोदरेज)	50	7000/–	350000/–
02	गददा	50	3000/–	150000/–
03	तकियाकवर के साथ	50	300/–	15000/–
04	बेड सीट	100	500/–	50000/–
05	कम्बल	50	1000/–	50000/–
	कुल	300	11800/–	615000/–

(vi) सफाई सामग्री

क्र0	सामग्री	संख्या	मूल्य	कुल
01	वाशिंग मशीन	2	10000/–	20000/–
02	आयरन	4	1500/–	6000/–
	कुल	06	11500/–	26000/–

(xii) दैनिक/मासिक आवश्यकता

क्र0	सामग्री	संख्या	दर	प्रतिमाह कुल व्यय	कुल
01	भोजन	50	1500/–प्रतिमाह प्रति आवास	75000/–	900000/–
02	वस्त्र (तौलिया सहित)	50	2000/–प्रतिमाह प्रति आवास	100000/– (वार्षिक)	100000/–
03	व्यक्तिगत साफ–सफाई, साबुन, तेल, शैम्पू, आदि 100/आवासिंग माह	50	100/–प्रतिमाह प्रति आवास	5000/–	60000/–
04	दवाई, जूता, चप्पल एवम् अन्य आवश्यकताओं के लिए	50	800/–प्रतिमाह प्रति आवास	40000/–	480000/–
05	(i) साबून, सर्फ (ii) फिनाईल, सार, पोछा, बाल्टी		2000/–प्रतिमाह	2000/–	24000/–
	कुल	200		222000/–	1564000/–

नोटः–वस्त्र के लिए प्रतिवर्ष 2000 की दर से 50 वृद्धजनों के लिए प्रावधानित किया गया है।

कुल संभावित वार्षिक लागत

क्र0		संचालन हेतु मासिक व्यय	कुल लागत
(i)	आश्रम संचालन हेतु कर्मी का मानदेय	91000/–	1092000/–
(ii)	आश्रम संचालन हेतु उपकरण की लागत		89750/–
(iii)	कार्यालय उपस्कर पर लागत		923000/–
(iv)	किचेन सामग्री पर लागत		110000/–
(v)	आवासन सामग्री पर लागत		615000/–
(vi)	सफाई सामग्री पर लागत		26000/–
(vii)	दैनिक/मासिक आवश्यकता पर लागत	222000/–	1564000/–
(viii)	वृद्धाश्रम के लिए मासिक किराया	15000/–	180000/–
		350000/–	4599750/–

(पैंतालीस लाख निनान्वे हजार सात सौ पच्चास रूपये)

एक वृद्धाश्रम के संचालन में संभावित वार्षिक व्यय – 4599750/–(पैंतालीस लाख निनान्वे हजार सात सौ पचास रूपये)

वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2012–13 में चयनित प्रत्येक पाँच जिलों को 1000000/–(दस लाख) रू0 अनावर्त्तक मद में उपलब्ध कराया जायगा।

गृह में प्रवेश के उपरान्त वृद्धजनों की चिकित्सकीय जॉच कराई जायगी। तत्पश्चात् उनकी क्षमताओं एवं रूचि/योग्यता का आकलन कराया जाएगा ताकि उनको पुनर्वास के उद्देश्य से छोटे–छोटे जीविकोपार्जन के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रशिक्षण हेतु कुछ प्रस्तावित ट्रेड:–

(1) अगरबत्ती बनाना
(2) मोमबत्ती बनाना
(3) हस्तकरघा के कार्य यथा चटाई बुनना, टोकरी बनाना एवं
(4) उपला बनाना आदि।

राशि का अंतरण:–वृद्धाश्रम संचालन हेतु राशि सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय द्वारा संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जायगा। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा राशि की निकासी कर मुख्यालय द्वारा चयनित एजेन्सी को विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुश्रवण:– बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायगा एव इसका प्रतिवेदन निदेशालय/विभाग को भेजा जाएगा।

(कौशल किशोर वर्मा)
निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना।

मुख्यमंत्री वृहद सहायता छत्र योजना

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य है राज्य के निराश्रित, असहाय, भिक्षुक, किन्नर, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना; पुनर्वास कार्यक्रम/सेवाओं की स्थापना एवं विस्तारीकरण करना एवं पुनर्वास कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावर्धन करना।

2. छत्र–योजना का विवरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगीः

2.1. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस परियोजना अन्तर्गत दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिये पेंशन छोड़कर अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक देखभाल संबंधित सेवाओं यथा बुनियाद केन्द्र, मोबाइल थेरेपी वैन "बुनियाद संजीवनी सेवा" आदि की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।

2.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

इस योजना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत भिक्षुकजनों का पुनर्वास, कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना है, ताकि भिक्षावृत्ति दूर हो सके। इस योजना में वस्त्र वितरण योजना भी समाहित होगी।

2.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम "सहारा" का निर्माण तथा संचालन समाहित होगी जिसमें राज्य के निराश्रित एवं निर्धन वृद्धजनों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सहयोग एवं उचित देख–भाल हेतु आवासन, वस्त्र, भोजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ आदि उपलब्ध करायी जायेगी।

3.4 किन्नर कल्याण योजना

इस योजना के तहत राज्य के किन्नरों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का आंकलन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु कार्य किये जायेंगे।

3. निधि का संवितरण

इस छत्र–योजनान्तर्गत सभी योजनाएँ राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी, परन्तु आवश्यकतानुसार भारत सरकार, विश्व बैंक आदि से भी अनुदान/ऋण लिया जा सकेगा। जैसे, सम्प्रति बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना विश्व बैंक से ऋण पोषित है जिसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात यह योजना राज्य सरकार द्वारा अंगीकार कर ली जाएगी।

4. देय राशि/सेवाएँ

इस छत्र–योजना के अंतर्गत विभिन्न देय राशि/सेवाएँ निम्नवत हैं:

4.1 बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना

इस योजना अंतर्गत बुनियाद केन्द्र के माध्यम से राज्य के दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जाँच एवं आधुनिक उपकरणों से उचित ईलाज, आँख, वाक् तथा श्रवण संबंधित जाँच, परामर्श एवं उचित ईलाज, काउंसिलिंग की सुविधा, रेफरल सेवाएँ, आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा के अन्य कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन तथा मोबाइल थेरेपी वैन से समुदाय स्तर तक सेवा प्रदान करना है।

4.2 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना

राज्य के भिक्षुकजनों को पुनर्वास/अल्पावास गृह के माध्यम से भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। वस्त्र वितरण के तहत सूती साड़ी, धोती, चादर एवं ऊनी कम्बल को भिक्षुकों, अपंगों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण किया जायेगा। सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दी जाएगी और प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही उनके कौशल विकासोपरांत रोजगार हेतु नियोजकों एवं स्व–रोजगार हेतु पूंजी निवेशकों/बैंकों से समन्वय स्थापित कराया जायेगा ।

4.3 वृद्धाश्रम

इस योजना अंतर्गत निःशुल्क आवासन, वस्त्र, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सकीय सुविधाएँ, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4 किन्नर कल्याण

राज्य के किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु परामर्श देना, पक्ष पोषण करना, किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना एवं नवाचार योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन करना आदि इस योजना अन्तर्गत मुख्य गतिविधि होगी।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन से तात्पर्य किसी भी लिंग/आयु का दिव्यांगजन, विधवा से तात्पर्य न्यूनतम 18 वर्ष की विधवा एवं वृद्धजन से तात्पर्य न्यूनतम 60 वर्ष का वृद्धजन होगा। इसी प्रकार निराश्रित, असहाय और भिक्षुक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही अनुमान्य होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी। इसके आलोक में योजनावार पात्रता निम्नवत होगी :

बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धजन
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	निराश्रित, असहाय, विधवाएँ एवं भिक्षुक
वृद्धाश्रम	बी.पी.एल. या वार्षिक आय रू. 60,000 (साठ हजार) से कम वाले वृद्धजन
किन्नर कल्याण	राज्य के सभी किन्नर एवं योजना विशेष, यदि हो, की अर्हता

6. प्रक्रिया

इस छत्र योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगीः

6.1 आवेदन की प्रक्रिया

इस छत्र–योजनाधीन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगीः

योजना का नामः	आवेदन की प्रक्रियाः	अनुमोदनः
बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	स्वयं/रेफरल के द्वारा बुनियाद केन्द्र के माध्यम से	जिला प्रबंधक/सेंटर प्रबंधक
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	स्वयं/सर्वेक्षित/रेफरल द्वारा पुनर्वास गृह के माध्यम से	जिला प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति
वृद्धाश्रम	सादे कागज में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में आवेदन किया जाता है	जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति
किन्नर कल्याण	किन्नर कल्याण बोर्ड के दिशा–निर्देश के अनुसार	

6.2 धन राशि/सेवा वितरण की प्रक्रिया

निदेशालय द्वारा राशि की निकासी कर किन्नर कल्याण हेतु किन्नर कल्याण बोर्ड में तथा अन्य योजनाओं हेतु सक्षम के बैंक खाते में रखी जायेगी, जो संबंधित लाभार्थी एवं सेवा प्रदाता को सीधे उनके खाते में भुगतान करेगी। जैसे सक्षम से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से चयनित स्वयंसेवी संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास गृह को अनुबंध के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अन्तर्गत सक्षम द्वारा Parent Child Account की पद्धति से जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को राशि उपलब्ध करायी जाती है तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

जिला कार्यान्वयन इकाई स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर सक्षम द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया जाता है तथा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है। किन्नर कल्याण हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र किन्नर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा।

7. अनुश्रवण प्रणाली

इस छत्र योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं में जिला स्तर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्धाश्रम का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय / विभाग को भेजा जायेगा।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस छत्र योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्या :– 03 / यो0–32 / 2017 / 5723, पटना, दिनांक 27.11.2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

ओल्ड एज होम (सहारा):

बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 07 जिलों पटना, गया, भागलपुर, पूर्णियां, रोहतास, बेगूसराय एवं पश्चिम चम्पारण में वृद्धाश्रम 'सहारा' का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृद्धाश्रम 'सहारा' के लिए रु.1.5 करोड़ का बजट स्वीकृत है, जिसमें रु.1.5 करोड़ का व्यय किया गया है।

समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए संचालित
वृद्धाश्रम "सहारा"

बिहार सरकार द्वारा वृद्धजनों के आवासन, चिकित्सीय एवं मनोरंजन आदि सुविधाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) के द्वारा वृद्धाश्रम 'सहारा' का संचालन किया जाता है। वर्तमान में कुल सात वृद्धाश्रम 'सहारा' संचालित हैं जिसमें आवासन क्षमता (प्रत्येक में 50) कुल साढे तीन सौ वृद्धजनों के लिए है। वर्तमान में जिसमें कुल 134 वृद्धजन आवासित हैं।

वृद्धाश्रम में रहने के लिए निम्न अर्हताएं हैं

60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन जो BPLपरिवार के अन्तर्गत आते हों, इन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता हैं अथवा ऐसे वृद्धजन जिनका वार्षिक आय 60,000 (साठ हजार) से कम हो, परन्तु उनके आय या जीवनयापन का कोई साधन उनके पास नही हो, एवं बिल्कुल निराश्रित हों और उनके परिवार में कोई उत्तराधिकारी/रिश्तेदार नहीं हो वैसी परिस्थिति में जिला प्रशासन (कार्यान्वयन समिति) आवश्यक जाँच भरण पोषण अधिकरण से कराने के उपरान्त उन्हें गृह में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि कोई गुमशुदा जान के खतरे में आने वाले तथा घर से बेघर किये गये वृद्धजन मिलतें है तो उन्हें आवश्यक्तानुसार वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है। वृद्धाश्रम में रहने के लिए आवेदन संबंधित जिले के सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को आवेदन किया जा सकता है।

क्र०	जिला का नाम	वृद्धाश्रम का नाम/पता	लाभुकों की संख्या
1	पूर्णियाँ	मिली एजुकेशन एण्ड वेलफेयरसोसायटी, नेवालाल चौक, शिव मंदिर के सामने, जिला–पूर्णियाँ, दूरभाष सं०–9431478629	34
2	पटना	सर्वांगिन विकास समिति मंगलम् बिहार, निकट–टाटा मोटर वर्कशॉप, आरा गार्डन, बेली रोड, पटना–800014, दूरभाष सं०–9334397067/8292705636	35
3	गया	इकोमिक इम्प्रामेंट कन्सलटेन्सी विकास सेन्टर मगध कॉलोनी, रोड नं०–5, जिला–गया, दूरभाष सं०–9431021070	21
4	भागलपुर	उमंग बाल विकास, बसंतपुर, गोराडी रोड, थाना–लोदीपुर, जिला– भागलपुर	37
5	रोहतास	नर्मदा वृद्धाश्रम 'सहारा' ,खैरी, बभनगामा,सासाराम , दूरभाष सं०–7992260252	07
6	प. चम्पारण	दारोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औधोगिक केन्द्र कोइरी टोला, मोहर्रम चौक, (BSNL Office के सामने पूरब)	00
7	बेगूसराय	बी०जी०जे०ए०एस० (बिहार ग्रामिण जागरूकता अभियान समिति) मधुरय लोक, प्रथम तल, रत्नापुर, बिशनपुर, पो०+जिला–बेगूसराय	00

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना